न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 416 सन 2018

अनवान :–

1. करण पुनिया 2 आकाश पूनिया पि0 होशियार सिह जाति जाट पूनिया निवासी परलीका हाल मलखेडा तहसील भादरा

वादीगण

बनाम

1. होशियारसिह पुत्र विजय कुमार जाति जाट पूनिया निवासी परलीका हाल मलखेडा तहसील भादरा।
2. अनकोरी पत्नी विजय कुमार जाति जाट पूनिया निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. मनीष पुत्री विजयकुमार जाति जाट पूनिया निवासी परलीका तहसील नोहर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 13.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 131/117 के प0न0 360/414(74) के किला न0 9 ता 13 प्रत्येक 0.253 , 18 ,20/0.506हैक कुल 2.0240हैक रोही मोजा चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 73/74 के प0न0 358/413(24) किला न0 13 ता 17 ,24 ता 25/1.6950हैक प0न0 359/413(25) के किला न0 11 ता 25/3.7950हैक प0न0 359/414(26) के किला न0 1 ता 17 कुल 4.3010हैक प0न0 358/414 (27) किला न0 4 ता 7 ,14 ,15/1.2642है प0न0 0 मु0न0 52/9 के किला न0 0/2 की 0.1265हैक गै0मु0 खाला मु0न0 55/2 की 0 की 0.0759हैक रास्ता मु0न0 55/3 के किला न0 0/1 की 0.1265हैक रास्ता कुल 11.3841हैक भूमि स्थित है एवं रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 126/121 के प0न0 357/430(43) के किला न0 16 ता 18 ,23 ता 25 कुल 1.5180हैक प0न0 357/431(52) के किला न0 3 ता 8 ,13 ता 18 कुल 2.9610हैक प0न0 0 मु0न0 89/17 के किला न0 0 की 0.0750हैक गै0मु0 रास्ता कुल 4.5540हैक जिसके विजय कुमार व सुरेन्द्र कुमार पि0 रामपत बहिब के खातेदार काश्तकार है।

उपरोक्त भूमि वादी के दादा विजयकुमार पुत्र रामपत फोत होने क बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी की दादी अनकोरी होशियारसिह मनीषा पर औद हुई है एवं रोही मौजा चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 131/117 की कुल 2.0240हैक भूमि एवं रोही मोजा चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 73/74 की कुल 11.3841हैक एवं रोही मौजा 17 एनटीआर के खाता संख्या 126/121 की कुल 4.5540हैक प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 पर बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज हुई है। तथा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वादीगण की दादी व बुआ है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है। जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 3 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय मे उपस्थित होकर वादी के

वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2, 3 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2, 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2, 3 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहको की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 131/117 की कुल 2.0240हैक एवं रोही मोजा चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 73/74 की कुल 11.3841 हैक व रोही मौजा 17 एनटीआर के खाता संख्या 126/121 की कुल 4.5540हैक भूमि यानि तीनों खातों में सयुक्त तोर से 1/2 हिस्सा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर रो कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

SDaidy

उपखण्ड अधिकारी (राजरव)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official